पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 166/2025

नवान :

1. पंकज कुमार पुत्र काशीराम जाति कुम्हार निवासी मौजाना तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. काशीराम पुत्र प्रभूराम जाति कुम्हार निवासी मौजाना तहसील भादरा।
2. पुजाकुमारी पुत्री काशीराम जाति कुम्हार निवासी मौजाना तहसील भादरा।
3. भागवतीदेवी पत्नी काशीराम जाति कुम्हार निवासी मौजाना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मौजाना के खाता संख्या 19/16 के खसरा संख्या 110/1 की 1.037 है0, खसरा संख्या 126/1 की 1.708 है0, खसरा संख्या 134/74 की 0.367 है0, खसरा संख्या 74 की 1.972 है0 कुल खसरा 4 की 5.084 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम के नाम 1/5 एवं रोही मौजा रतनपुरा के खाता संख्या 38/42 के खसरा संख्या 190/2 की 2.782 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी पंकज कुमार को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 तथा 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:50:02 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

(प्रकरण) सं0 : 166/2025

(दरम्य)ान :

1. पंकज कुमार पुत्र काशीराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. काशीराम पुत्र प्रभूराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
2. पुजाकुमारी पुत्री काशीराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
3. भागवती देवी पत्नी काशीराम जाति कुम्हार निवासी मोजाना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी **: वादी**

वकील श्री सुरेन्द्र मील **: प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

दिनांक : 17.10.2025

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मोजाना के खाता संख्या 19/16 (के) खसरा संख्या 110/1 की 1.037 है0, खसरा संख्या 126/1 की 1.708 है0, खसरा संख्या (3)4/74 की 0.367 है0, खसरा संख्या 74 की 1.972 है0 कुल खसरा 4 की 5.084 है0 बारानी (में) प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम के नाम 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा रतनपुरा के खाता संख्या (3)8/42 के खसरा संख्या 190/2 की 2.782 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है जो (प्र)तिवादी काशीराम को अपने पिता प्रभूराम से विरासतन प्राप्त हुई है। प्रभूराम के देहान्त होने के उपरान्त उक्त वादभूमि तन्हा प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते (प्रा)प्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की आवश्यकता नहीं है अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पंकज कुमार पुत्र काशीराम जाति (कुम्हार) निवासी मौजाना तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी (साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा मौजाना) के खाता संख्या 19/16 संवत 2073-76 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा रतनपुरा के खाता संख्या 38/42 संवत 2076-79 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा मौजाना के खाता संख्या 11/10 संवत 2065-68 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही मौजा रतनपुरा के खाता संख्या 34/35 संवत 2064-67 प्रदर्श 4, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डाबड़ी प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:30:02 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व

Nidhi
सहायक कलक्टर

कार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस कार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी क्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा जाना एवं रतनपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की षणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व स्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 5 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा मौजाना के खाता ख्या 19/16 के खसरा संख्या 110/1 की 1.037 है0, खसरा संख्या 126/1 की 1.708 है0, सरा संख्या 134/74 की 0.367 है0, खसरा संख्या 74 की 1.972 है0 कुल खसरा 4 की 5. 4 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम के नाम 1/5 एवं रोही मौजा नपुरा के खाता संख्या 38/42 के खसरा संख्या 190/2 की 2.782 है0 बारानी खातेदारी में वादी संख्या 1 काशीराम के नाम 1/5 प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम के नाम राजस्व कार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 काशीराम का नाम कलमजन किया कर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 तथा 2 ने अपना हक सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा आधार पर साबित होने पर स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा षणा की जाती है कि रोही मौजा मौजाना के खाता संख्या 19/16 के खसरा संख्या 0/1 की 1.037 है0, खसरा संख्या 126/1 की 1.708 है0, खसरा संख्या 134/74 की 0. 7 है0, खसरा संख्या 74 की 1.972 है0, कुल खसरा 4 की 5.084 है0 बारानी खातेदारी में तिवादी संख्या 1 काशीराम के नाम 1/5 एवं रोही मौजा रतनपुरा के खाता संख्या 38/42 खसरा संख्या 190/2 की 2.782 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम के म 1/5 प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण दभूमि में प्रतिवादी सं0 1 काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी पंकज कुमार को तेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 तथा 2 ने अपना हक हिस्सा वादी के । में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन ल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त रोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा द उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में नाया गया।

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
...दरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.02 11:30:02 IST
Reason: SelfAttested